एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DY 713390

संलग्नक–1

अनुबंध पत्र

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपदः– गौतमबुद्धनगर

द्वितीय पक्ष मैसर्स जय माता दी टूर एण्ड ट्रेवलर्स, शाहपुर कलां, खुर्जा, जिला– बुलन्दशहर। (सेवाप्रदाता)

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 11.04.2018 को जनपनद गौतमबुद्धनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध के दिनांक से 2 वर्ष तक के लिये होगी।

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादरी, जेवर,दनकौर,बिसरख, व मुख्यालय एवं डीपीएमयू कार्य संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करायेगें :–

i. सेवाप्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से रूपये 24950.00 की प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा।

ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यः होनी चाहिए :–
- वाहन टैक्सी परमीट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन अनुबन्ध की तिथि से पांच वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में

जय माता दी टूर एण्ड ट्रेवलर्स

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. कार्य के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर जिला मुख्यालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
5. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण स्थल तक ले जाने एवं वापस लाना होगा। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर, अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करती होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घन्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
7. किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
10. वाहन को प्रत्येक माह अधिकतम 2000 किलोमीटर चलाना होगा।
11. वाहन जीपीआरएस युक्त होने चाहिये प्रत्येक माह बिल के साथ जीपीआरएस विवरण संलग्न करना होगा।
12. सभी वाहन सिडान श्रेणी की होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

13. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान :- नोएडा.

दिनांक:- 11-04-2018.

हस्ताक्षर............ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(प्रथम पक्ष) गौतम बुद्ध नगर

हस्ताक्षर............ नाहरसिंह
(द्वितीय पक्ष)

जय माता दी ट्रेवल्स एण्ड टूर्स — नाहरसिंह

गवाह

1.

2.

… Vehicle Hiring Block wise Information-2018-19, G.B. Nagar

S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Allotted	Agreemetn copy attached
1	Meerut	G.B. Nagar	Bisrakh	DL1RX0079	11.4.2018	MOIC/BPMU	Yes
2	Meerut	G.B. Nagar	Jewar	HR55W9242	11.4.2018	MOIC/BPMU	Yes
3	Meerut	G.B. Nagar	Dankuar	UP16DT6366	11.4.2018	MOIC/BPMU	Yes
4	Meerut	G.B. Nagar	Dadri	UP16ET9736	11.4.2018	MOIC/BPMU	Yes

Supportive Supervision Vehicle Hiring District Level Information-2018-19, G.B. Nagar

S.No.	Name of District	Name of Agreement Signing Office	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreemetn copy attached
1	G.B. Nagar	CMO	UP16DT4025	11.4.2018	UP16ET8006	1.10.2018	Yes

DPM
DPMU NHM

CMO
G.B. Nagar
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर